the jobs elsewhere or make necessary arrangements for their financial assistance till the restarting of the mill. The Government of India have taken immediate steps in such a case—one Bombay mill. Financial aid is a must in this case also. It is also very essential to go into the causes of the fire and to decide on the further line of action to avert such accidents.

We are anxious to know about the total loss involved.

(iii) LIKELY LOCK-OUT IN COOPERATIVE SUGAR MILL AND DISTILLERY OF PANIPAT

SHRI PURNA SINHA (Tezpur): It is an urgent matter of interest to the poor people which I intend to raise under Rule 377.

The Cooperative Sugar Mill and Distillery of Panipat in Haryana is in danger of being locked out for want of finance to purchase sugar cane from the growers. For nearly two weeks now the growers are not being paid a single paisa for the cane they have supplied for want of funds. The society asked for Rs. 75 lakhs from the bank on the guarantee of the State Government, which is not forthcoming. There are nearly 1,500 employees who are also the shareholders of the society which owns the mill. At the same time there are 15000 cane growers who are also members of the Society and who have purchased shares. They are in villages around Panipat and supply all the materials required for the working of the Mills from their own produce. It is not expected of them to continue to supply sugarcane without payment at the Government agreed rate of Rs. 13.50 per quintal. (Government had also agreed to this price). They are now compelled to sell their sugarcane to private owned Khandsari Sugar Mills at Rs. 8 per quintal which is much below the expected price to the growers. At the same time, it is also much below the cost of production.

Unless the Central Government, the Ministry of Commerce and the Ministry of Cooperation, together with the Agriculture Ministry, come forward with the additional working capital of Rs. 75 lakhs, together with a change in the Management of the Society, the mills will be closed at any moment throwing 1500 workers and their families into distress and compelling sugarcane growers, who number about 15000, to give up cultivation of this crop altogether.

It is stated that a Haryana Civil Service Officer, a junior in rank, is placed in charge of the Sugar Mill and he is dancing to the tune of the State Ministers of Finance, Labour and Cooperation who are unable to provide the necessary additional funds. Unless some assistance comes from the Government of India, along with technical know-how, the sugar mills will be closed at any moment. I, therefore, demand from the Government of India that they should appoint not only a sugar technologist but also an Administrator, and they should provide additional funds to the tune of Rs. 75 lakhs, for which the mills had asked the Government long ago.

(iv) REPORTED CLOSURE OF MAHARANA CLOTH MILL OF PORBANDAR (GUJARAT)

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के पोरबन्दर शहर की महाराणा कपडा मिल स्टीम कोल के अभाव से 11 मार्च 1978 से बन्द हो गई है । यह मिल 46 वर्ष पुरानी मिल है । इस मिल को प्रति मास नौ सौ टन स्टीम कोल मध्य प्रदेश की बिलासपूर की खदानों से आता था । छः महीने से कोयले की कमी इस मिल को अनुभव होती रही थी । कोयले के अभाव में मिल बन्द हो जाने से 2300 मिल मजदूर बेकार हो गये है और प्रति दिन पचास हजार मीटर कपडा तैयार होता था वह भी बन्द हो गया है ।

इस मिल के बन्द होने से मजदूरो को, मिल को और सरकार को आमदनी में नुक्सान होता जा रहा है । पोरबन्दर की महाराणा कपडा मिल को तुरन्त कोयला मिल सके इसके लिए शीघ्र प्रबन्ध किया जाए ताकि मिल तुरन्त चालू हो सके । मिल मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन की ओर से भी केन्द्रीय

[Shri Purna Sinha]

सरकार तथा गुजरात सरकार का ध्यान खींचा गया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस महाराणा कपड़ा मिल के लिए कोयले का तुरन्त प्रबन्ध किया जाए ताकि मिल चालू हो सके।

(v) REPORTED STAYING OF A LARGE NUMBER OF EAST BENGAL REFUGEES AT RAIPUR RAILWAY STATION

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) सब से पहले मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान एक गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर 377 के अन्तर्गत विषय उठाने के पूर्व दिलाते हुए कहना चाहता हू कि सबंधित मंत्री चाहे यहा रहें या न रहें लेकिन यह बहुत जरूरी है कि ससद कार्य मत्री अथवा राज्य मंत्री संसदीय कार्य उपस्थित रहे ताकि सदस्यो द्वारा 377 के अन्तर्गत उठाई गई बातो को नोट कर सके और उन पर योग्य कारंवाई के लिए उनको संबंधित मंत्रियो तक पहुंचा सकें। यदि ऐसा नही होता है तो इन विषयो को उठाने का कोई अर्थ नही रह जाएगा। मैं चाहता हू कि आप इसके बारे मे उचित निर्देश दे। प्राय प्रतिदिन ही माननीय सदस्य 377 के माध्यम से अनेक गम्भीर प्रश्न उठाते हैं और यदि उन पर कोई कार्यवाही न हो, तो उन्हें उठाने का कोई अर्थ नही है।

MR SPEAKER For your information, I may tell you that my office, whenever there is a speech or other information given here, conveys it to the concerned Minister It is not as if there is a blank Whatever is mentioned here is conveyed to the concerned Minister so that he may look into the matter And we also expect him to convey whatever he has got to say to you by means of a letter or otherwise

*AN HON MEMBER* But why are they not here?

MR SPEAKER· All the Ministers cannot be here

AN HON MEMBER At least the Parliamentary Affairs Minister should be here.

MR SPEAKER: He cannot be here all the time.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं जिस महत्वपूर्ण विषय को यहा प्रस्तुत करना चाहता हूं वह अत्यन्त गम्भीर है। पूर्वी बंगाल से लगभग तीन हजार विस्थापित लोग मध्य प्रदेश के रायपुर नगर मे पहुच हैं यद्यपि उन्हे उडीसा के जयजयपुर में जाना था। पुनर्वास मंत्रालय की दुर्व्यवस्था के कारण और उसकी गैर जवाबदाराना कारवाई के कारण वे वहा पहुचे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि उनको झारसुगुडा से लौटाया जाकर जयजयपुर भेजा जाए जहा उन को जाना था। परन्तु पुनर्वास मत्रालय ने इस पर भी कोई कारवाई नही की है। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग तीन हजार विस्थापित वहा पर स्टेशन पर पडे हुए हैं और न उनके खाने की कोई व्यवस्था है और न पीने की व्यवस्था है। योग्य व्यवस्था न होते से बाजार मे जाकर वे अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनर्वास मत्री का ध्यान इस ओर तुरन्त दिलाना चाहता हू और प्रार्थना करना चाहता हू कि उन विस्थापितो को जहां कही भी पहुंचाना हो पहुचाने को व्यवस्था की जाए तथा उनका सुप्रबन्ध किया जाए। ऐसा नही हुआ तो वहा पर कानून और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर हो सकती है। जहा तक मेरा ज्ञान है, जो विस्थापित लोग पूर्वी बंगाल से आते है वे मध्य प्रदेश में आकर रहना पसन्द नही करते है। वे सुन्दरवन जाकर रहना पसन्द करते है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे मे एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए ताकि जहा वे रहना पसन्द करें उनके वास्ते वहां रहने का प्रबन्ध हो सके, उनकी वहा बसाहत हो सके, वहां उनके लिए भूमि दी जा सके अन्यथा इस नीति के अभाव मे तो यह होता है कि वे यहा वहा स्टेशनों पर भटकते रहते हैं, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस नगर के निवासियों को भी कठिनाई